

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में  
सी०एम०पी० संख्या-246 / 2019

सरस्वती महतो

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य और अन्य

..... उत्तरदातागण

**कोरम:** माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ०) एन०एन० पाठक

याचिकाकर्ता के लिए : श्री राज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : एस०सी० (खान-II) ए०सी०

03/20.09.2019 यह याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त आदेश का अनुपालन आज से तीन सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के निवेदन और इस सी०एम०पी० के पैरा सं० 6 से 9 में किए गए निवेदनों के मद्देनजर, कंटेन्ट वाद (सिविल) सं० 233/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है जो इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27.07.2018 का अनुपालन नहीं करने के वजह से हुई चूक के कारण दिनांक 10.08.2018 को खारिज कर दिया गया था।

तदनुसार, इस सी०एम०पी० को उपरोक्त शर्त के साथ अनुमति है।

(डॉ० एस०एन० पाठक, न्याया०)